



UPEW010036302025

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah
पीठासीन अधिकारी- (Sri Ankur Sharma), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01632

Sessions Case 905/2025

State of UP Vs. Swami Dayal Urph Indra Kumar

मु०अ०सं०-1466/2022

धारा-135 विद्युत अधिनियम

थाना ए.पी.टी. जिला इटावा।

06.03.2026

1. पत्रावली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा की आख्या के साथ पेश हुई। अभियुक्त स्वामी दयाल उर्फ इन्द्र कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र 12 ख प्रस्तुत किया गया।
2. अवलोकन से विदित है पक्षकारों के मध्य समझौता होने की सम्भावना पर पत्रावली दिनांक 06.02.2026 को समझौता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा भेजी गयी थी।
3. आज पत्रावली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा की आख्या एवं Settlement Agreement के साथ प्राप्त हुई। उक्त Settlement Agreement में अंकित है कि द्वितीय पक्ष पर उक्त प्रकरण के बावत जो भी बकाया था वह द्वितीय पक्ष ने विद्युत विभाग को अदा कर दिया है तथा प्रथम पक्ष की ओर से अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान बकाया नहीं है। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध लम्बित वाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश(ई० सी० एक्ट), इटावा वाद संख्या 905/2025 जनपद इटावा राज्य बनाम स्वामी दयाल उर्फ इन्द्र कुमार अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम की कार्यवाही समाप्त किये जाने में प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।
4. उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा की आख्या एवं Settlement Agreement के अनुसार अभियुक्त की ओर से धनराशि जमा की जा चुकी है। अब कोई धनराशि देय नहीं है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष वाद संख्या 905/2025 राज्य बनाम स्वामी दयाल उर्फ इन्द्र कुमार अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम की कार्यवाही समाप्त किये जाने में सहमति व्यक्त किये गये है।
6. प्रस्तुत प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत शमनीय है। अतः न्यायहित में विशेष वाद शमन किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त स्वामी दयाल उर्फ इन्द्र कुमार के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा-152 के आधार पर शमन करते हुये, विशेष वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। तदनुरूप अभियुक्त स्वामी दयाल उर्फ इन्द्र कुमार को धारा- 135 विद्युत अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, अभियुक्त का बन्धपत्र निरस्त किया जाता है तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अंकुर शर्मा)

विशेष न्यायाधीश(आ०व०अधि०), इटावा।

J.O. CODE : UP01632